



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54100

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7990 वर्ष 2026

सम्राट

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अनीता सिंह, कुमारी पूनम राजपूत, प्रेम बाबू वर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम मोर्य और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. यह जमानत याचिका अभियुक्त-आवेदक सम्राट की ओर से प्रकरण अपराध संख्या 157/2025, धारा 137(2), 87, 61(2) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन खैरगढ़, जिला फिरोजाबाद में जमानत पर रिहाई के लिए दायर की गई है।

3. संक्षेप में, एफआईआर में लगाए गए आरोप के अनुसार, अभियुक्त शिवम ने शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी का अपहरण किया था और उसे उसी दिन बरामद कर लिया गया था।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोपी-आवेदक ने एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है और मुख्य आरोपी शिवम के साथ घनिष्ठ संबंध के कारण उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक 14.1.2026 से जेल में बंद है। यह प्रस्तुत किया गया है कि न तो आवेदक का नाम एफआईआर में है और न ही पीड़िता के अपहरण या बलात्कार आदि के संबंध में आवेदक की कोई विशिष्ट भूमिका बताई गई है एफआईआर में या धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता ने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज अपने बयान में आवेदक की विशिष्ट भूमिका नहीं बताई है, बल्कि धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत अपने बयान में बताई है। घटना के दो दिन बाद दर्ज किए गए बयान में उसने आवेदक, सह-आरोपी शिवम और शेर सिंह की समान भूमिका बताई है और कहा है कि सभी आरोपियों ने उसके साथ यौन संबंध बनाए हैं, जो पूरी तरह से झूठा और अविश्वसनीय है। यह तर्क दिया गया है कि बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत दर्ज बयान के अनुसार उसकी उम्र 17 वर्ष है, जबकि बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत दिए गए बयान के अनुसार उसकी उम्र 16 वर्ष है। आगे यह तर्क दिया गया है कि मुख्य आरोपी शिवम को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा 15.12.2025 को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। यह भी तर्क दिया गया है

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कि पीड़ित को बरामद कर लिया गया है और आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। निवेदन यह है कि मुकदमे के निष्कर्ष में पर्याप्त समय लगेगा और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय प्रक्रिया से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

5. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय पूर्व-परीक्षण स्तर पर नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हो सकता है और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है।

6. उपरोक्त उल्लिखित पक्षों की दलीलों पर विचार करने के साथ-साथ इस तथ्य पर भी विचार किया गया है कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है और न ही एफआईआर में या धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में पीड़िता के अपहरण या बलात्कार आदि के संबंध में आवेदक की कोई विशिष्ट और स्पष्ट भूमिका बताई गई है। धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज बयान के अनुसार पीड़िता की उम्र 17 वर्ष है, जबकि धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दिए गए बयान के अनुसार उसकी उम्र 16 वर्ष है। मामले की डायरी में आवेदक के खिलाफ आरोप यह है कि वह मुख्य आरोपी शिवम का बहनोई है, जिसका नाम एफआईआर में है। धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दिए गए उसके बयान में भी यही बात दर्ज है। घटना के दो दिन बाद दर्ज की गई जानकारी के अनुसार, आवेदक, सह-आरोपी शिवम और शेर सिंह की भूमिका समान है। सह-आरोपी शेर सिंह को सह-आरोपी शिवम का चाचा (फूफा) बताया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



है। मुकदमे के निष्कर्ष को लेकर अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिकार क्षेत्र को देखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2024) मुकदमे 677 के मामले में अनुच्छेद 53, संघ ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए। (2022) 10 एससीसी 51** और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपर्युक्त अपराध में शामिल आवेदक को व्यक्तिगत मुचलके और दो भारी जमानतों को समान राशि में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के साथ कि:-

- (i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।
- (ii) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, स्थगन की मांग नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर, या तो स्वयं या संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार, अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक अवर न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहेगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप निर्धारण और (iii) आरोपी का व्यक्तिगत बयान दर्ज करना, जिसमें वह अपने विरुद्ध साक्ष्यों में प्रकट होने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(v) यदि आवेदक वाद के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, अवर न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्यवाही शुरू करेगी।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अवर न्यायालय द्वारा जमानत रद्द की जा सकती है।

8. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

17 मार्च, 2026

आरके

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”